न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं. उपखण्ड अधिकारी संगरिया

पीठासीन अधिकारीः– रकेश कुमार मीना(आर.ए.एस.)
राजस्व वाद : बाबत इस्तकरार हक,खाता तकसीम व जमाबन्दी दुरुस्ती
नम्बर मुकदमा – 355 / 2024 निर्णय दिनांकः– 3.5.2024

रसपिन्द्र सिह पुत्र गुरसेवक सिह जाति जटसिख सा. हरिपुरा तह. संगरिया जिला हनुमानगढ

वादी

बनाम

1 गुरसेवक सिह पुत्र मेजर सिह जाति जटसिख सा. हरिपुरा तह. संगरिया
2 रमनीक कौर पुत्री गुरसेवक सिह जाति जटसिख सा. हरिपुरा तह. संगरिया
3 तहसीलदार राजस्व संगरिया तह. संगरिया

प्रतिवादीगण

उपस्थित
श्री नक्षत्र सिह सिद्धू – अधिवक्ता वादी
श्री गुरमीत सिह कलसी – अधिवक्ता प्रति स. 1 व 2

निर्णय

उक्त अनुवानी वाद पत्र वादीकी तरफ से जरिए वकील उक्त तथ्यों के आधार पर पेश किया गया कि वादी व प्रति स. 1 व 2 एक ही संयुक्त परिवार के सदस्य है।जिनके परिवार की वंशावली दावा की दफा 2 में दर्ज है।वादी के पिता प्रति स. 1 गुरसेवक सिह के नाम चक 1 एच.आर.पी. खाता स. 32 / 24 खाता गुरसाहब सिह ज.स. 2073–76 में आराजी दर्ज राजस्व रिकार्ड है।चक 1 एच.आर.पी. खाता स. 32 / 24 ज.स. 2073–76 में वादी के पिता के नाम दर्ज उक्त आराजी वादी व प्रतिवादीगण की जद्दी जायदाद है। जिसमे वादी व प्रति स. 2 का जन्म से ही ब.हि.ब का हक व हिस्सा बनता है। किन्तु प्रति स. 2 ने अपने समस्त हक व हिस्सा का परित्याग वादी व प्रति स. 1 के पक्ष में ब.हि.ब. के हिसाब से कर दिया है। अतः उक्त वादग्रस्त आराजी मे प्रति स 2 का कोई हक व हिस्सा शेष नही है। इसी कदर की घोषणात्मक डिग्री हम वादीगण प्राप्त करना चाहते है। चक 1 एच.आर.पी. खाता स. 32 / 24 खाता गुरसाहब सिह ज. स. 2073–76 में वादी के पिता का नाम राजस्व कर्मचारियों की गलती की वजह से लिपीकीय त्रुटी के कारण गुरसाहब सिह पुत्र मेजर सिह जाति जटसिख सा. हरिपुरा तह. संगरिया दर्ज हो गया है। जबकि उनका सही नाम गुरसेवक सिह पुत्र मेजर सिह जाति जटसिख सा. हरिपुरा तह. संगरिया है।जैसा कि वादी के आधार कार्ड मे,.प्रति स. 1 के आधार कार्ड में , प्रति स. 1 के ड्राईवींग लाईसैन्स में दर्ज चला आ रहा है। अतः उक्त चक 1 एच.आर.पी. खाता स. 32 / 24 खाता गुरसाहब सिह ज.स. 2073–76 में जमाबन्दी दुरूस्त करवा वादी के पिता का नाम गुरसाहब सिह पुत्र मेजर सिह जाति जटसिख सा. हरिपुरा तह. संगरिया के स्थान पर गुरसेवक सिह पुत्र मेजर सिह जाति जटसिख सा. हरिपुरा तह. संगरिया दर्ज करवाने का वादी अधिकारी एवं दावेदार है।दावा [illegible] वादी व प्रति स. 1 ने आपस मे दावा की दफर 6 के अनुसार घरू विभाजन कर रखा है। वादी दावा की दफा 6 के अनुसार काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। कब्जा काश्त बाबत कोई विवाद नही है। लेकिन आराजी में वादी के पिता का नाम गलत दर्ज होने के कारण तथा उक्त आराजी में वादी का नाम सांझा खाता में दर्ज होने के कारण वादी के खातेदारी अधिकारों पर बुरा प्रभाव पडता है। इसलिए वादी ने प्रतिवादीगण से कई दफा निवेदन किया कि वे वादग्रस्त आराजी में वादी के पिता का नाम दुरूस्त करवा गुरसाहब सिह पुत्र मेजर सिह जाति

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.05.21 16:02:11 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

जटसिख सा.हरिपुरा तह. संगरिया के स्थान पर गुरसेवक सिह पुत्र मेजर सिह जाति जटसिख सा. हरिपुरा तह. संगरिया दर्ज करवा उक्त आराजी का वादी को दावा की दफा 6 के अनुसार खातेदार काश्तकार होना मान ले तथा वादी का खाता दावा की दफा 6 के अनुसार अलग कायम करवा देवे। तो इस पर पहले तो वे टालमटोल करते रहे लेकिन पिछले सप्ताह प्रतिवादीगण वादी के इस निवेदन से स्पष्ट इंकारी हो गये । बस यही वाद कारण है।अतः चक 1 एच.आर.पी. खाता स. 32/24 खाता गुरसाहब सिह ज.स. 2073–76 में 2.277 है0 आराजी का वादी खातेदार काश्तकार है। अतः इस खाता से प्रति स. 1 गुरसेवक सिह पुत्र मेजर सिह का 2.277 है0 हिस्सा कम किया जाकर उक्त आराजी का खाता उक्तानुसार वादी के नाम दर्ज किया जावे व वादी का खाता दावा की दफा 6 के अनुसार अलग कायम किया जाकर रकमराज अलग कामय किया जावे ।चक 1 एच.आर.पी. खाता स. 32/24 खाता गुरसाहब सिह ज.स. 2073–76 में वादी के पिता का नाम दुरूस्त कर गुरसाहब सिह पुत्र मेजर सिह जाति जटसिख सा. हरिपुरा तह. संगरिया के स्थान पर गुरसेवक सिह पुत्र मेजर सिह जाति जटसिख सा. हरिपुरा तह. संगरिया दुरूस्त किया जावे।

उक्त वाद पेश होने पर तथा सीगेदार की रिपोर्ट होने के बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादीगण की तलबी हेतु सम्मन जारी किये गये।प्रति स. 1 व 2 की ओर से श्री गुरमीत सिह कलसी ने वकालतनामा मय सहमति का जवाब दावा पेश किया । जो शामिल मिसल है।प्रति स. 3 की ओर से जवाब स्टेट पेश किया गया। साक्ष्य वादी में वादी रसपिन्द्र सिह का शपथ पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 सी.पी.सी.पेश किया गया। जो शामिल मिसल है।

बहस अभिभाषकगण सुनी गई। वादीगण अभिभाषक ने बहस में कथन किया कि चक 1 एच.आर.पी. खाता स. 32/24 खाता गुरसाहब सिह ज.स. 2073–76 में 2.277 है0 आराजी का वादी खातेदार काश्तकार है। अतः इस खाता से प्रति स. 1 गुरसेवक सिह पुत्र मेजर सिह का 2.277 है0 हिस्सा कम किया जाकर उक्त आराजी का खाता उक्तानुसार वादी के नाम दर्ज किया जावे व वादी का खाता दावा की दफा 6 के अनुसार अलग कायम किया जाकर रकमराज अलग कामय किया जावे ।चक 1 एच.आर.पी. खाता स. 32/24 खाता गुरसाहब सिह ज.स. 2073–76 में वादी के पिता का नाम दुरूस्त कर गुरसाहब सिह पुत्र मेजर सिह जाति जटसिख सा. हरिपुरा तह. संगरिया के स्थान पर गुरसेवक सिह पुत्र मेजर सिह जाति जटसिख सा. हरिपुरा तह. संगरिया दुरूस्त किया जावे।प्रतिस. 1 व 2 ने सहमति का जवाब दावा पेश किया है। अभिभाषक प्रतिवादी स.1 व 2 ने वादीगण के वाद का कोई विरोध नही किया। वादी के वाद का कोई विरोध नही है।

बहस पर मनन किया गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। नकल फोटोप्रति चक 1 एच.आर.पी. खाता स. 32/24 खाता गुरसाहब सिह ज.स. 2073–76 पेश है। जो कि प्रदर्श 1 है।वादी के वाद पत्र का कोई विरोध हमारे समक्ष नही आया है। वाद पत्र का कोई विरोध नही होने से सहमती के आधार पर मुताबिक अनुतोष डिकी किया जाना उचित प्रतीत होता है।

क्रियात्मक आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वाद [illegible] कि चक 1 एच.आर.पी. खाता स. 32/24 खाता गुरसाहब सिह ज[illegible]6 में 2.277 है0 आराजी का वादी खातेदार काश्तका[illegible] स. 1 गुरसेवक सिह पुत्र मेजर सिह का 2.277 है0 [illegible] आराजी का खाता उक्तानुसार वादी के नाम द[illegible] खाता दावा की दफा 6 के अनुसार अलग कायम किया जाकर रकमराज [illegible] कामय किया जावे ।चक 1 एच.आर.पी. खाता स. 32/24 खाता गुरसाहब सिह ज.स. 2073–76 में वादी के पिता का नाम दुरूस्त कर गुरसाहब सिह पुत्र मेजर सिह जाति जटसिख सा. हरिपुरा तह. संगरिया के स्थान पर गुरसेवक सिह पुत्र मेजर सिह जाति जटसिख सा. हरिपुरा तह. संगरिया दुरूस्त किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.05.21 16:02:11 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निज..........X.......... मुब्लिक..........X.......... बाबत.....X.............खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फिसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयावी तक ...✓.......... को अदा करें।

बसेबत मेरे दस्तखत व मोहर अदालत से आज दिनांक 3.5.24.................. को जारी की गई।

नोटः– यदि हक हिस्सा प्रभावित नही हो तो ऋणी काश्तकार के अलावा डिक्रीत दावे के अन्य पक्षकारो का अमल दरामद कर दिया जावे।

(राकेश कुमार मीना)
सहायक कलैक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.05.21 16:02:11 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री एंवं मुकदमे ईब्तदाई
(ओ.20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)
न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,संगरिया

रसपिन्द्र सिह पुत्र गुरसेवक सिह जाति जटसिख सा. हरिपुरा तह. संगरिया जिला हनुमानगढ

वादी

बनाम

1 गुरसेवक सिह पुत्र मेजर सिह जाति जटसिख सा. हरिपुरा तह. संगरिया
2 रमनीक कौर पुत्री गुरसेवक सिह जाति जटसिख सा. हरिपुरा तह. संगरिया
3 तहसीलदार राजस्व संगरिया तह. संगरिया

प्रतिवादीगण

उपस्थित
श्री नक्षत्र सिह सिद्धू – अधिवक्ता वादी
श्री गुरमीत सिह कलसी – अधिवक्ता प्रति स. 1 व 2

मु स . 355/2024 दावा अर्न्तगत धारा 88/53 आर.टी.ए.व 136 एल.आर.एक्ट.

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी श्री नक्षत्र सिह सिद्धू एड. वादीगण व श्री गुरमीत सिह कलसी एड. प्रति स. 1 व 2 पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि चक 1 एच.आर.पी. खाता स. 32/24 खाता गुरसाहब सिह ज.स. 2073–76 में 2.277 है0 आराजी का वादी खातेदार काश्तकार है। अतः इस खाता से प्रति स. 1 गुरसेवक सिह पुत्र मेजर सिह का 2.277 है0 हिस्सा कम किया जाकर उक्त आराजी का खाता उक्तानुसार वादी के नाम दर्ज किया जावे व वादी का खाता दावा की दफा 6 के अनुसार अलग कायम किया जाकर रकमराज अलग कामय किया जावे ।चक 1 एच.आर.पी. खाता स. 32/24 खाता गुरसाहब सिह ज.स. 2073–76 में वादी के पिता का नाम दुरूस्त कर गुरसाहब सिह पुत्र मेजर सिह जाति जटसिख सा. हरिपुरा तह. संगरिया के स्थान पर गुरसेवक सिह पुत्र मेजर सिह जाति जटसिख सा. हरिपुरा तह. संगरिया दुरूस्त किया जावे।

निज X मुब्लिक X बाबत 165/- खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फिसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक X को अदा करें।
बसबत मेरे दस्तखत व मोहर अदालत से आज दिनांक 3.5.2024 को जारी की गई।
नोटः– यदि हक हिस्सा प्रभावित नही हो तो ऋणी काश्तकार के अलावा डिक्रीत दावे के अन्य पक्षकारो का अमल दरामद कर दिया जावे।

(राकेश कुमार मीना)
सहायक कलैक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.05.21 16:02:11 IST
Reason: SelfAttested